भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2940
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2026

दूरसंचार अधिनियम**, 2023**

2940. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) दूरसंचार क्षेत्र के विनियामक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने वाले दूरसंचार अधिनियम, 2023 का ब्यौरा क्या है और इसके प्रवर्तन की उल्लेखनीय उपलब्धि क्या हैं;
(ख) क्या प्राधिकरण-आधारित प्रणाली सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ढांचे के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देती है;
(ग) यदि हां तो मुख्य, रक्षित और विविध सेवाओं के लिए 2026 के नियमों और अनुसंधान एवं विकास, प्रायोगिक योजनाओं और ग्रामीण संपर्क के लिए डिजिटल भारत निधि की सहायता का ब्यौरा और इसकी स्थिति क्या है; और
(घ) व्यावसायिक संदेशों के लिए अनिवार्य सहमति जैसे उपयोगकर्ता की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अधिनियम के तहत विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है और साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी और स्पैम के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) धारा 1(3) के अनुसार, सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की विभिन्न धाराओं को निम्नलिखित रूप से लागू किया है:

(i) धारा 1,2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62, दिनांक 26.6.2024 से प्रभावी;

(ii) धारा 6 से 8, 48 और 59(ख) दिनांक 5.7.2024 से प्रभावी; और
(iii) धारा 3(1) और 3(6) दिनांक 23.6.2026 से प्रभावी।

(ख) और (ग) अधिनियम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक सरलीकृत प्राधिकार व्यवस्था, सुव्यवस्थित विनियामक प्रक्रियाओं और एक डिजिटल-बाय-डिजाइन कार्यान्वयन ढांचे को शुरू किया गया है।
सरकार ने इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित को अधिसूचित करते हुए पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग व्यवस्था के स्थान पर एक सरलीकृत प्राधिकार ढांचा लागू किया है:

(i) दूरसंचार (प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 दिनांक 23.6.2026 को;
(ii) दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के उपबंध के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 दिनांक 23.6.2026 को;
(iii) दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवा के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 दिनांक 23.6.2026 को;
(iv) दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्जा प्राधिकार) नियम, 2026; दिनांक 8.7.2026 को; और
(v) दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 दिनांक 20.7.2026 को।

प्राधिकार प्रदान करने, पुरानी से नई विनियामक व्यवस्था में प्रव्रजन, शुल्क गणना और अन्य विनियामक प्रक्रियाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्राधिकार पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिससे प्रक्रियात्मक जटिलताओं में कमी आई है और विनियामक निश्चितता में सुधार हुआ है।

इसके अलावा, इस अधिनियम में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी, अनुसंधान और विकास, नई संचार प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए डिजिटल भारत निधि के विस्तार और विनियामक सैंडबॉक्स के माध्यम से नवाचार का समर्थन करने का प्रावधान किया गया है, जिससे देश भर में डिजिटल समावेशन और भविष्य के अनुरूप दूरसंचार अवसंरचना को बढ़ावा मिलता है।

(घ) अवांछित व्यावसायिक संचार (यूसीसी) या स्पैम का विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकार द्वारा दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर) के तहत किया जाता है। टीसीसीसीपीआर में अन्य बातों के साथ-साथ प्रेषकों और टेलीमार्केटर्स के पंजीकरण, वाणिज्यिक संचार प्राप्त करने के लिए वरीयता के पंजीकरण, यूसीसी के विरुद्ध शिकायत, अपंजीकृत प्रेषकों के विरुद्ध उपाय, कृत्रिम बुद्धिमता-आधारित स्पैम की पहचान और समर्पित क्रमांकन श्रृंखला संबंधी प्रावधान हैं।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डॉट) ने कई नागरिक-केंद्रित और तकनीकी उपायों को लागू किया है, जिसमें संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण संचार की रिपोर्टिंग और खोए और चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट के प्रबंधन के लिए संचार साथी प्लेटफॉर्म, सुरक्षित हितधारक समन्वय के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी), और नकली अंतर्राष्ट्रीय कॉल का पता लगाने के लिए सिस्टम शामिल हैं। इसके द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) भी पेश किया है जो वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने की संभावना के आधार पर मोबाइल नंबरों को वर्गीकृत करता है।
